



सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,

सिद्धार्थनगर, 3090-272202

Website : www.suksn.edu.in - Email Id : registrarsidduniv@gmail.com

अधिसूचना

एतद्वारा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर के पत्रांक-335/पि0व0क0/छा0/2020-21 दिनांक-06.02.2021 के क्रम में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर से सम्बद्ध समस्त राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के प्रबन्धक/प्राचार्य/प्राचार्या को सूचित किया जाता है कि उक्त संलग्न पत्र का अवलोकन करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय

कुलसचिव,

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक 622 / सूचना / 2021

दिनांक- 08/02/2021

प्रतिलिपि, निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर।
2. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या सम्बद्ध सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।
3. निजी सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
4. प्रभारी कोडिंग सेल को इस निर्देश के साथ कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय के वेबसाइट तथा कालेज लॉगिन पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
5. सम्पादक महोदय- अमर उजाला, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्तान को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने सम्मानित समाचार पत्र के अंक में छात्रहित में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
6. गार्ड फाइल में संरक्षित हेतु।

1
कुलसचिव,

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

प्रेषक,

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
सिद्धार्थनगर।

सेवामें,

1. कुल सचिव,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।
2. जिला विद्यालय निरीक्षक,
सिद्धार्थनगर।
3. प्राचार्य/प्रधानाचार्य, समस्त सम्बन्धित शिक्षण सस्थायें जनपद सिद्धार्थनगर

DA
श्री मन्त्र
06/21/2021

पत्रांक 335 /पि0व0क0/छा0/2020-21

दिनांक 06 फरवरी, 2021

विषय:- वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2020-21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत जनपद स्तर स्तर पर संस्था के लॉगिन में प्रदर्शित होने वाले छात्रों के सस्पेंडेड डाटा को सम्बन्धित छात्र द्वारा स्वयं ऑनलाइन शुद्ध/त्रुटि-रहित (Correct) किये गये एवं सम्बन्धित संस्था द्वारा अग्रसारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-2918 दिनांक 05 फरवरी, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2020-21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत जनपद स्तर स्तर पर संस्था के लॉगिन में प्रदर्शित होने वाले छात्रों के सस्पेंडेड डाटा को सम्बन्धित छात्र द्वारा स्वयं ऑनलाइन शुद्ध/त्रुटि-रहित (Correct) किये गये एवं सम्बन्धित संस्था द्वारा अग्रसारित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश प्राप्त हुए हैं।

उपर्युक्त के क्रम में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2020-21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत प्रमुख सचिव, समाज कल्याण के शासनादेश संख्या- 07/21/193/26-3-2021-04(358)/07 टी0सी0iii दिनांक 15 जनवरी 2021 द्वारा निर्गत सशोधित समया सारिणी के प्रस्तर/बिन्दु संख्या 06 के अनुसार छात्रों के सदेहास्पद डाटा सही/शुद्ध/त्रुटि-रहित (Correct) किये जाने की सशोधित अवधि (01 फरवरी 2021 से 10 फरवरी 2021 तक) निर्धारित की गयी है। इसी समयावधि में ऐसे सभी छात्रों का डाटा जिनके द्वारा वार्षिक परीक्षाफल/दोनों सेमेस्टर का परिणाम न निकलने की दशा में Result Not Declared आप्सन चुनते हुए आनलाइन आवेदन किया गया था, सदेहास्पद श्रेणी में छात्रों/सम्बन्धित शिक्षण सस्थानों की लागिन पर उपलब्ध है। यदि परीक्षाफल घोषित हो गये हो, तो उन्हें तत्काल अनिवार्य रूप से आनलाइन आवेदन को सशोधित/भरते हुये पुनः सबमिट निर्धारित तिथि 10 फरवरी 2021 तक किया जाना है, तदुपरान्त उसे संस्था द्वारा 13 फरवरी 2021 तक अग्रसारित/निस्तारित किया जाना है, अन्यथा की दशा में आवेदन निरस्त माना जायेगा।

राज्य एन0आई0सी0 द्वारा शिक्षण संस्थान स्तर से अग्रसारित डाटा की निर्धारित बिन्दुओ पर स्कूटनी के पश्चात सदेहास्पद डाटा छात्र के लॉगिन, संस्था के लॉगिन पर कारण सहित प्रदर्शित/उपलब्ध करा दिया गया है। विदित हो कि सदेहास्पद डाटा उक्त निर्धारित अवधि में छात्र द्वारा स्वयं अपने लॉगिन से सही/शुद्ध किया जाना अनिवार्य है।

तत्काल में अनुरोध है कि निर्धारित अवधि तक अनिवार्य रूप से प्रत्येक दशा में डाटा का नियमानुसार निस्तारण/अग्रसारण करने/कराने का कष्ट करें, अन्यथा पात्र छात्र के लाभ से वंचित होने की दशा में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित शिक्षण संस्थान का होगा।

कृपया उक्त कार्य को विशेष प्राथमिकता प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय,
06/02/21
(विकास)

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
सिद्धार्थनगर।

पृष्ठांकन सं0 व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-निम्नवत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
3. मुख्य विकास अधिकारी, सिद्धार्थनगर।
4. उपनिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, बस्ती मण्डल, बस्ती।
5. जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सिद्धार्थनगर।

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
सिद्धार्थनगर।